

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई०एल०आर०
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जाना की गई। जिसके अनुसार

महो. निवेदन है कि राजाव जंगम खाना ल० 147 (2015-18) में जर्नी डा नाम लखन के राज्य रूप हो गया मलाबिडु आधार माई पेन माई जर्नी का नाम राज्य के व्याप राजेन्द्र जमाद सेनी कजा उचित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक :- राजस्व/2020/

दिनांक :-

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चयता की जाती है।

वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अनिश्चयता की जाती है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

2400
2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)
:- आदेश :-

दिनांक :- 3-1-2022

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमावन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	सेनीपुरा खडागांव	2015- 2018	52 147	राज्य पु.जंगलम	राजेन्द्र जमाद सेनी पु. जंगलम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :- 31-2022

क्रमांक :- राजस्व/2020/
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया को सूचनाार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

